

(1100/CP/SM)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

**टोक्यो ओलम्पिक्स में भाग लेने वाले भारतीय
खिलाड़ियों के दल को शुभकामना संदेश**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज से टोक्यो, जापान में 32वें ओलम्पिक खेल प्रारम्भ हो रहे हैं। ओलम्पिक खेल अंतर्राष्ट्रीय शांति, मैत्री, बन्धुत्व, विविधता में एकता तथा उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। इन खेलों में हमारे देश के 127 एथलीट्स भाग ले रहे हैं, जो अभी तक की सबसे बड़ी संख्या है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इन खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल को उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं पद्म विजय के लिए शुभकामनायें देता हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नकाल।

प्रश्न संख्या 61, श्री अरविंद सावंत जी।

...(व्यवधान)

1101 hours

(At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Gaurav Gogoi, Shrimati Harsimrat Kaur Badal, Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood near the Table.)

... (Interruptions)

(प्रश्न 61)

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): The Minister is well aware कि मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है और खार लैंड है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र ने भी खुद का एक कानून बनाया है। वर्ष 1979 में महाराष्ट्र खार लैंड डेवलपमेंट एक्ट, 1979 को पारित किया गया। उसमें प्रावधान है कि राज्य की सरकार भी जमीन का अधिग्रहण जनता के हित में विकास के काम के लिए कर सकती है। मुंबई में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है... (व्यवधान) मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के समय यह हुआ कि मेट्रो रेल के लिए जब वन की जमीन ली गई, तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि वन की जमीन मत लीजिए... (व्यवधान) उन्होंने मुंबई के कांजुर क्षेत्र में मेट्रो रेल के कार शेड के लिए जमीन की मांग की। पहले जो सरकार राज्य में थी, उस राज्य की सरकार के मार्फत कहा गया था कि यह खार लैंड हमारी है, राज्य सरकार की है, लेकिन अब नई सरकार आ गई है... (व्यवधान) नई सरकार ने मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट कांजुर में व कांजुर शेड बनाने के लिए मांग की। केन्द्र की सरकार कहने लगी कि यह जमीन हमारी है। आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं... (व्यवधान) खार लैंड के कारण हमारे कांजुर मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट प्रलम्बित रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं, आपने उत्तर में कहा है कि कुछ सिफारिशें 21 मार्च को मंजूर की हैं, क्या उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कांजुर शेड का प्रकल्प, जिसे राज्य सरकार ने आपके पास प्रस्तावित किया है, उसे मंजूरी दी जाएगी और क्या केन्द्र की सरकार वह जमीन राज्य की सरकार को हस्तांतरित करेगी?... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि महाराष्ट्र में खार लैंड डेवलपमेंट एक्ट, अंडर महाराष्ट्र एक्ट नंबर 11, 1979 है, इसको समय-समय पर मॉडीफाई भी किया गया है। ... (व्यवधान) जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सवाल है, मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि CRZ Notification, 2019 is being implemented overall in the State of Maharashtra. ... (Interruptions). The provision of CRZ Notification, 2011 is in force, pending updation of CZMP as per CRZ Notification, 2019. मैं आपको आगे कहना चाहूंगा कि जो ड्राफ्ट सीजेडएमपी मुंबई और नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट के संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने भेजे हैं, वे मिनिस्ट्री को रिसीव हो गए हैं और वे अभी अंडर एग्जामिनेशन हैं... (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण): आप जानते हैं कि मुंबई में सरकार किसी की भी हो ... (व्यवधान) हम पहले एनडीए सरकार के माध्यम से ... (व्यवधान) मुंबई शहर के लिए मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस प्रोजेक्ट के लिए यह जो कांजुर शेड की जमीन है, वह अगर मिली, तो वह प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो सकता है... (व्यवधान)

आपने कहा है कि आपके पास महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है। मैं आपसे यह बताने की विनती करता हूं कि यह प्रस्ताव कितने दिनों में मंजूर करके आप इसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार को दे देंगे?

(1105/NK/KSP)

श्री भूपेन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, जो नियत प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। (व्यवधान) मैंने पहले भी कहा है कि यह अंडर एग्जामिनेशन है।... (व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य से ऐसे कितने प्रस्ताव सीआरजेड के अंतर्गत प्रलंबित हैं? जो प्रलंबित प्रस्ताव हैं, ... (व्यवधान) उसका केन्द्र सरकार कब तक निपटारा करने वाली है?

श्री भूपेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, मुंबई और मुंबई सब-अर्बन डिस्ट्रिक्ट का प्रस्ताव सरकार के पास आया है और हमें बाकी के लिए प्रतीक्षा है। अन्य राज्यों से भी प्रतीक्षा है। ... (व्यवधान) जहां तक कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान का विषय है, अभी तक केवल ओडिशा राज्य का पूरा हुआ है, बाकी राज्यों का विवरण मेरे पास है। ... (व्यवधान) हमारे द्वारा सभी से अपेक्षा की जा रही है कि वे प्लान बनाकर भेजेंगे।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय मंत्री जी समय की पाबंदी बताएंगे तो अच्छा होगा। आप समय की पाबंदी बताएं। ... (व्यवधान) टाइम लिमिट बताएं।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): माननीय मंत्री जी, यह कितने दिनों में पूरा होगा? ... (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 62 के साथ प्रश्न 68 और 73 को क्लब किया जाता है।

श्री राहुल शेवाले

(प्रश्न 62, 68 और 73)

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुंबई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, मैंने ग्लोबल टेंडर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा है। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि इस इश्यू पर मैंने सरकार को एक पत्र लिखा था। देश में जो भी ग्लोबल टेंडर्स निकाले जा रहे हैं, उन ग्लोबल टेंडर्स को रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ... (व्यवधान) मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था। लेकिन केन्द्र सरकार के सपोर्ट के बिना ग्लोबल टेंडर चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वह सक्सेस नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, वह भी सक्सेस नहीं हुआ। उसका एक ही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन होती है। ... (व्यवधान) ग्लोबल टेंडर के सप्लायर्स के जो इंडियन पार्टनर्स हैं, उनको जो परमिशन मिलनी चाहिए, वह परमिशन नहीं मिलने की वजह से पूरे देश में चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने टेंडर निकालता हो या स्टेट गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला हो, वे सब फेल हुए। ... (व्यवधान)

मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगर पूरे देश में ग्लोबल टेंडर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या स्टेट गवर्नमेंट को निकालना है तो उसके लिए एक यूनिफार्म पॉलिसी होनी चाहिए। यूनिफार्म गाइडलाइन होनी चाहिए और यूनिफार्म टेंडर ड्राफ्ट होना चाहिए। जो भी सप्लाय करेगा, उस सप्लाय को आईसीएमआर और डीसीजीआई की परमिशन मिलनी चाहिए। उसके न होने की वजह से जितने भी ग्लोबल टेंडर हुए हैं, वे सब फेल हुए हैं। ... (व्यवधान)

आज देश का हर स्टेट या जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, वे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि पचास परसेंट गवर्नमेंट सप्लाय करेगी और पचास परसेंट आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कोविड संक्रमण और वैक्सीन के महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है, पूरा देश जानना चाहता है कि वैक्सीन के बारे में भारत की स्थिति क्या है? मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं, आप कम से कम मास्क लगाकर रखें, आप मास्क लगाकर रखें क्योंकि कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप मास्क लगाकर रखें, अगर आप खुद संक्रमण फैलाएंगे तो श में क्या मैसेज जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि कोविड के बारे में चर्चा हो, वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा हो। आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, मास्क खोलकर नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां निकाल रहे हैं, यह उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए। आप जनप्रतिनिधि हैं। आपसे जनता मार्गदर्शन प्राप्त करती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। मैं हर मुद्दे और विषय पर आपको चर्चा करने का मौका दूंगा, उपयुक्त समय और अवसर दूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। मैं आपको चर्चा का मौका दूंगा। आप पहले अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। मैं आपको मौका दूंगा।

... (व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया: माननीय अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन की उपलब्धता के लिए ग्लोबल टेंडर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किया गया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन और देश को बताना चाहता हूँ कि देश में कोविड और वैक्सीनेशन के संदर्भ में देश में राजनीति न हो, पॉलिटिक्स न हो।

(1110/SK/KKD)

ऐसा माननीय प्रधान मंत्री जी ने कई बार कहा है और इसी विषय को लेकर मैं यहां रिप्लाइ दूंगा। मैं इस विषय पर राजनीति भी नहीं करना चाहूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम एक फेडरल स्ट्रक्चर के अनुरूप कोविड क्राइसिस के सामने सामूहिक तरीके से लड़ सकें, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने आज तक 20 बार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, चर्चा की और उन्होंने जो सुझाव दिए, भारत सरकार ने सहयोग करने के लिए समय-समय पर कार्य योजना बदली। सबसे पहले विपक्ष, कई लोगों और राज्यों द्वारा प्रश्न उठाया जाता था कि हैल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। हैल्थ के लिए स्टेट को भी विश्वास में लेना चाहिए, उन्हें अनुमति देनी चाहिए। राज्यों ने कहा कि वैक्सीन हम भी खरीद सकते हैं, हमें भी अनुमति देनी चाहिए। ... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर राज्य खरीदना चाहते हैं तो खरीदें क्योंकि अल्टीमेटली तो देश के नागरिकों का वैक्सीनेशन होना है। माननीय मोदी जी ने इसलिए कहा कि 1 मई से 25 परसेंट स्टेट खरीदे, 25 परसेंट प्राइवेट लोग खरीदें और 50 परसेंट भारत सरकार खरीदकर देश के नागरिकों का टीकाकरण करे। 25 परसेंट के लिए हर स्टेट ने टेंडर निकाला। ... (व्यवधान) हमने कहा कि हम सहयोग करेंगे। लेकिन देने वाले लिमिटेड थे, भारत सरकार भी बात कर रही थी। राज्य सरकार ने कहा कि हम टेंडर निकालना चाहते हैं। हमने कहा कि हम क्या मदद कर सकते हैं, हम

मदद करने के लिए तैयार हैं, आप खरीद सकते हैं, टेंडर निकाल सकते हैं। ... (व्यवधान) इस पर राजनीति भी हो सकती थी, जो कई लोगों ने की। हमारा क्लियर मन था और माननीय मोदी जी ने कहा, इस विषय पर राजनीति नहीं, जो राज्य खरीदना चाहते हैं, हम मदद करेंगे। कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर किया, लेकिन कंपनी निश्चित थीं। भारत की दो कंपनियों ने वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक। मॉडर्ना ने इंडिया में रजिस्ट्रेशन ले लिया है, परमिशन दे दी है। ... (व्यवधान) जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में बायोलॉजिकली इवेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर लिया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम चल रहा है, दो कंपनीज़ बची थीं। फाइजर के साथ भारत सरकार एक लैवल पर बात कर रही है, आज भी कर रही है, तब भी कर रही थी, लेकिन एक कंपनी ने बोल दिया कि हम स्टेट से बात नहीं करेंगे, हमसे भारत सरकार बात कर रही है। आज भी भारत सरकार का एक एक्सपर्ट ग्रुप उनके साथ बात कर रहा है। इंडिया में और कंपनीज़ को परमिशन दे दी है। इश्यू यह नहीं है, इश्यू राजनीति का है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ... (व्यवधान) हमारा मकसद और लक्ष्य है कि देश में शत-प्रतिशत 18 की आयु से ऊपर नागरिकों का वैक्सीनेशन हो। इसके लिए हम सब लोगों को साथ में मिलकर प्रयास करना चाहिए। यह राजनीति का अवसर नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं था, जब इंटरनेशनल और बाएलेटरल बात होती है, तो कंपनी टू कंपनी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है। हम आज के दिन तक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन भी दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपिसिटी इंडिया ने प्राप्त कर ली है और आगे और प्राप्त होगी। हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ... (व्यवधान)

यह बहुत ओपन फोरम था। मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में एक विषय निकला कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है तो भारत सरकार को 25 परसेंट प्रोक्योर करके देनी चाहिए। माननीय मोदी जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, 21 जुलाई को नई पॉलिसी लाए कि हम देश के सभी नागरिकों का फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। यह सभी राज्यों के कहने से लाए। ... (व्यवधान) 25 परसेंट स्टेट को लेना था, वे ले नहीं पाए। देश के शत-प्रतिशत नागरिकों का वैक्सीनेशन हो, इसके लिए माननीय मोदी जी ने, भारत सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। मेरा आग्रह है कि हम सब साथ मिलकर वैक्सीनेशन में सहयोग करें। हम सब लोग साथ मिलकर, जब वैक्सीनेशन केंद्र चालू हों, वहां जाएं, प्रोत्साहित करें। हम सब साथ मिलकर, जो भ्रम फैला रहे हैं, उन्हें रिप्लाई करें।

(1115/MK/RP)

हम सभी लोग साथ में मिलकर, जो लोग टीका नहीं लगा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करें कि वे टीका लगवाएं और देश में माननीय मोदी जी के 'सभी लोगों को फ्री वैक्सीन' के अभियान के साथ जुड़ें। ... (व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी विस्तार से पूरी जानकारी दी है। लेकिन, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस स्थिति के बारे में आपने बताया है, वह स्थिति मुम्बई में नहीं है। मुम्बई में अभी भी वैक्सीन की शॉर्टेज है। ... (व्यवधान) मुम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ग्लोबल टेंडर निकाला था, लेकिन उसको रेस्पांस नहीं मिला,

(PP. 7-30)

क्योंकि, केंद्र सरकार से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वह सपोर्ट न मिलने की वजह से, जैसे अभी आपने बताया कि चाहे मॉडर्न हो या फाइजर, सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो क्या उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार सपोर्ट करेगी? ... (व्यवधान) मुंबई में अभी भी जितनी कोवैक्सीन या कोविशील्ड की सप्लाई होनी चाहिए, वह सप्लाई न मिलने की वजह से मुंबई में जितने भी वैक्सीन सेंटर्स हैं, वे तीन दिन से बंद हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पूरा देश वैक्सीनेशन के बारे में जानना चाहता है।

... (व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुंबई दक्षिण-मध्य): मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूँ कि मुंबई को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सप्लाई मिलनी चाहिए। मॉडर्न या अन्य वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के लिए मुंबई को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वह सपोर्ट केंद्र सरकार से मिलना चाहिए।

दूसरा, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ग्लोबल टेंडर में जितने भी वैक्सीन सप्लायर्स हैं, यदि आप उनको टैक्स में एग्जेंप्शन देंगे, तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्म रेट मिलेगा। अभी सभी जगह से अलग-अलग रेट आ रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया: माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले भी यह कह चुका हूँ कि किसी भी राज्य को, कोई भी कंपनी वैक्सीन देने के लिए तैयार है, तो हम जो भी कहें ... (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पूरा देश वैक्सीन के बारे में जानना चाहता है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप जाइए। किस तरीके से देश में वैक्सीनेशन होगा, किस तरह से आप देश की सुरक्षा करेंगे? माननीय सदस्यगण, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1117 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/SJN/NKL)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत हुई।
(डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

1200 बजे

(इस समय श्री गौरव गोगोई, श्री कल्याण बनर्जी, श्री बैन्नी बेहनन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, हमें कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नंबर 2 से 5.

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री भूपेन्द्र यादव जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी की ओर से, मैं श्री चित्र तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 33 के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्री चित्र तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (निदेशक की नियुक्ति तथा वेतन और भत्ते) नियम, 2021, जो 15 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 40 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 - (एक) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2021, जो 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 243(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) पॉलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइप और फिटिंग में लेड स्टैबलाइजर नियम, 2021, जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 228(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 350(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो एनसीआर में चूना भट्टियों में पेट कोक के विक्रय और उपयोग के बारे में हैं।

(दो) का.आ. 2(अ) जो 1 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) में, उसमें उल्लिखित, संशोधनों के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2239(अ) जो 10 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) में, उसमें उल्लिखित, संशोधनों के बारे में है।

(चार) का.आ. 2353(अ) जो 17 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए गठन किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

161st and 162nd Reports

DR. MANOJ RAJORIA (KARAULI-DHOLPUR): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Commerce:-

(1) 161st Report on 'Review of the Intellectual Property Rights Regime in India'.

(2) 162nd Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its One

Hundred and Fifty-fourth Report on 'Export of Agricultural and Marine Products, Plantation Crops, Turmeric and Coir'.

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

293वां प्रतिवेदन

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल) : सभापति महोदय, मैं "देश में विमानन संयोजनता की स्थिति" के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 293वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

**STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 333RD AND 342ND REPORTS OF STANDING
COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT,
FORESTS AND CLIMATE CHANGE - LAID**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, with your kind permission, I rise to lay the following statements regarding:-

- (1) the status of implementation of the recommendations contained in the 333rd Report of the Standing Committee on Science & Technology, Environment, Forests & Climate Change on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Earth Sciences.
- (2) the status of implementation of the recommendations contained in the 342nd Report of the Standing Committee on Science & Technology, Environment, Forests & Climate Change on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology.

BUSINESS OF THE HOUSE

1203 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 26th of July, 2021 may consist of :-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - [it contains (i) *Consideration and passing of the Factoring Regulation (Amendment) Bill, 2020* (ii) *Consideration and passing of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management Bill, 2021, as passed by Rajya Sabha.*]
2. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2021 (No. 3 of 2021) promulgated by the President of India on 4th April, 2021 and consideration and passing of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2021.
3. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance, 2021 (No. 4 of 2021) promulgated by the President of India on 13th April, 2021 and consideration and passing of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Bill, 2021.
4. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Essential Defence Services Ordinance, 2021 (No. 7 of 2021) promulgated by the President of India on 30th June, 2021 and consideration and passing of the Essential Defence Services Bill, 2021.
5. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Indian Medicine Central Council (Amendment) Ordinance, 2021 (No. 5 of 2021) promulgated by the President of India on 22nd April, 2021 and consideration and passing of the Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2021.
6. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2021 (No. 6 of

2021) promulgated by the President of India on 16th May, 2021 and consideration and passing of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2021.

7. Consideration and passing of the Inland Vessels Bill, 2021.
8. Consideration and passing of the Coconut Development Board (Amendment) Bill, 2021, after it is passed by Rajya Sabha.

(1205/VR/YSH)

ELECTIONS / NOMINATIONS TO COMMITTEES

(i) Committee on Public Undertakings

1205 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Pralhad Joshi, I beg to move the following:

“That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (3) of Rule 254 read with sub-rule (1) of Rule 312B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, one member from amongst themselves to serve as a member of the Committee on Public Undertakings for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Smt. Meenakshi Lekhi appointed as Minister.”

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : प्रश्न यह है :

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हो गई हैं, के स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

(ii) प्राक्कलन समिति

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री अजय भट्ट, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री अजय भट्ट, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

(iii) लोक लेखा समिति

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्रीमती दर्शना जरदोश और श्री अजय मिश्र टेनी, जो मंत्रियों के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर लोक लेखा समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्रीमती दर्शना जरदोश और श्री अजय मिश्र टेनी, जो मंत्रियों के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर लोक लेखा समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

(1210/RPS/SAN)

(iv) लोक लेखा समिति

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री भूपेन्द्र यादव और श्री राजीव चन्द्रशेखर, जो मंत्रियों के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर सभा की लोक लेखा समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी): प्रश्न यह है :

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री भूपेन्द्र यादव और श्री राजीव चन्द्रशेखर, जो मंत्रियों के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर सभा की लोक लेखा समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

(v) Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Sir, I beg to move :-

“That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (3) of Rule 254 read with sub-rule (1) of Rule 331B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, three members from amongst themselves to serve as the members of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the un-expired portion of the term of the Committee *vice* Shri A. Narayanaswami, Shri Bhanu Pratap Singh Verma and Shri Er. Bishweswar Tudu appointed as Ministers.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री ए. नारायण स्वामी, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और श्री इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु, जो मंत्रियों के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीन सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

(vi) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री संजय सेठ, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और श्री कपिल मोरेश्वर पाटील, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री संजय सेठ, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और श्री कपिल मोरेश्वर पाटील, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

(vii) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा के श्री के.के. रागेश, जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं और श्री बी.एल. वर्मा, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर सभा की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के साथ सहयोजित होने के लिए अपने में से दो सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा के श्री के.के. रागेश, जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं और श्री बी.एल. वर्मा, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर सभा की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के साथ सहयोजित होने के लिए अपने में से दो सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

(1215/RAJ/SNT)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : आइटम नम्बर – 17, श्री पी. पी. चौधरी जी।

... (व्यवधान)

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON THE PERSONAL DATA PROTECTION BILL – EXTENSION OF TIME

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move:

“That this House do extend upto the first week of the Winter Session of Parliament, 2021, the time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के शीतकालीन सत्र, 2021 के पहले सप्ताह तक बढ़ाती है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1216 बजे

माननीय सभापति : नियम 377 के अधीन सभा के पटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में अध्यक्षपीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा।

जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखें।

... (व्यवधान)

Re: Need to include places associated with great historical personalities of Rajasthan under 'PRASAD' and 'SWADESH DARSHAN' schemes and also install the statue of Raja Rana Punja.

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र उदयपुर (राजस्थान) में महाराणा प्रताप जी के जीवन से जुड़े अनेक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल हैं। स्थलों को देखने हेतु देश ही नहीं विदेशों से भी भारी संख्या में सैलानी यहां पर आते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है-

1. कुंभलगढ़ यहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ।
2. गोगुन्दा यहां महाराणा प्रताप का राजतिलक किया गया।
3. चावण्ड, सराड़ा यहां महाराणा प्रताप ने अपने प्राण त्यागे।
4. भगवान ऋषभ देव जी जैन समुदाय का प्रथम तीर्थंकर एवं आदिवासी समुदाय का आस्था केन्द्र।
5. हाडा रानी स्थल सलूमबर।
6. भोरई गढ़ में आदिवासी राजा का किला।
7. एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंदा।

इन सभी स्थानों के विकास हेतु इन्हें भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रसाद एवं 'स्वदेश दर्शन' योजना से जोड़ने का कष्ट करे। श्रीमान बताना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप जी के समाधि स्थल का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था जो कि वर्तमान में रखरखाव के अभाव में जीर्णोद्धार होता जा रहा है। साथ ही भोमट के राजा राणा पुंजा जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सहयोग दिया था, उनकी भी प्रतिमा चावंड एवं अन्य सभी राणा प्रताप से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर लगवाई जावे। जिससे क्षेत्र ही नहीं देश विदेश से आ रहे लोगों को इनके त्याग, बलिदान, शौर्य की जानकारी मिल सके इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा।

(इति)

Re: Need to expedite construction of canal for channelizing water of Niradevghar Dam in Maharashtra

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर (माधा): नीरा नदी पर नीरा देवघर परियोजना को 1984 में प्रशासनिक स्वीकृति मिली और इस बांध का काम वर्ष 2000 में पूरा हो गया है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाना था। इसके लिए मुख्यतः माढा, फलटण, खंडाला, मालशिरस आदि में 100 किलोमीटर लम्बी नहर के माध्यम से पानी पहुंचाना था ताकि इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई व पेयजल के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यह केनाल अभी तक लगभग 21 वर्षों में 65 किमी ही बन पायी है। महोदय, नीरा देवघर बाँध का पानी माढा लोकसभा क्षेत्र में ले जाने हेतु लगभग 100 किमी केनाल बनाने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाकर इस नहर का निर्माण कार्य शीघ्रताशीघ्र पूरा करवाने का कष्ट करें ताकि इससे मालशिरस, फलटण, संगोला, पंढरपुर की जनता तथा विशेषकर किसानों के लिए आसानी से पानी उपलब्ध होना सुनिश्चित हो सके।

(इति)

Re: Inclusion of all the farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Churu parliamentary constituency, Rajasthan

श्री राहुल कर्वां (चूरु): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशानुसार बीमित किसानों का सम्पूर्ण डाटा पोर्टल पर चढ़ाया जाना आवश्यक है, उनको ही बीमा क्लेम देय है जिनका डाटा पोर्टल पर चढ़ा हो, जिनका डाटा पोर्टल पर गलत रूप से अपलोड किये गये या किये ही नहीं गये, ऐसे किसान बीमा क्लेम से वंचित हो गये हैं, वंचित किसानों का भुगतान पीएमएफबीवाई के दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 17-2 के अनुसार संबंधित बैंक ही जिम्मेदार होगा। ऐसे वंचित किसानों के दावों का संबंधित बैंक भुगतान नहीं कर रहे हैं व चूरु संसदीय क्षेत्र में वर्ष 2017 से 2020 तक उक्त केटेगिरी के काफी किसानों को फसल बीमा क्लेम नहीं मिला है।

मेरा निवेदन है कि बैंकों की गलती से वंचित किसानों का भुगतान संबंधित बैंक करें, क्लेम से वंचित किसानों की सूचना कारण सहित दी जावे व संशोधन के लिए पोर्टल खोला जाए, इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करावे।

(इति)

Re: Better road connectivity between districts of West Bengal and Garo Hills

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): The road connection needs to be re-established between Hili-Balurghat of West Bengal and Mahendraganj-Tura in Meghalaya passing through Bangladesh. This will reduce distance between Hili-Balurghat and Mahendraganj-Tura, save time and money, boost the economy of the two states, facilitate cultural exchanges, and above all, benefit farmers and business community and students of the two States. It will also pave the way for the proper manipulation and utilization of natural resources stored in the two states of India. The development in the fields of culture, education, economy, agriculture and tourism has been greatly affected because of poor road communication. Therefore, Government should revive, reconnect and re-introduce the easy communication between districts of West Bengal and Garo Hills in general and the entire Northeast, which can be made by forming and introducing a corridor through the land of Bangladesh.

(ends)

Re: Need to protect the interest of students falling prey to unrecognised Universities and Institutes mushrooming in the country

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में स्व-मान्यता प्राप्त, गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान कार्य कर रहे हैं। ये फर्जी संस्थान सीधे साधे छात्रों को चंगुल में फंसाकर उनके साथ विश्वासघात करते हैं। उनकी डिग्रिया सरकार द्वारा नहीं मानी जाती हैं जिससे उनका समय और पैसे दोनों बर्बाद हो जाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे फर्जी, स्वयंभू और गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से सीधे साधे छात्रों को चंगुल से बचाने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to sanction additional houses under Pradhan Mantri Awas Yojana in Odisha particularly in Balasore parliamentary constituency

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI: Odisha in general and Balasore in particular have been very prone to flood, cyclone and other natural calamities. During the recent cyclone 'YAAS' entire Balasore district was very badly affected. Countless houses were completely damaged and washed away by the upsurge of saline water, heavy rain fall and consequential gush of rain water flowing from the upper region. Many people could not be shifted to the temporary cyclone shelters. Many shops & market complexes have been completely washed away in the coastal area. People, therefore, have lost their livelihood. Cattle and other domestic animals suffered a lot. Many died. The agony of the people in those areas is indescribable. This happened because the embankments are not properly strengthened; water discharging system is not scientifically developed and most of the people do not have a pucca house. The only ray of hope is PMAY which is not reasonably distributed due to the reasons best known to the state Government.

While thanking the Hon'ble Prime Minister for sanctioning a good number of houses this year under PMAY to Odisha, I would like to say that it is not sufficient to cover all kutcha houses. My humble submission to the Hon'ble Minister of Rural Development and Panchayati Raj is to consider sanctioning some additional houses to Odisha in general and Balasore in particular under PMAY as a special case, so that all the mud houses can be covered under PMAY to enable the poor people to fight against such recurrent natural calamities.

(ends)

Re: GST and Import charges waiver on medicines

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): The treatment of rare diseases such as, Gaucher disease, Pompe, MPS 1, Fabry, Spinal Muscular Atrophy are among the major rare diseases affecting our children, is an expensive affair and medicines are mostly Imported. Incapacity to afford the treatment, inadequate availability of medications, inaccessibility to advanced treatment facilities, are just a few of the problems the families face. Even though, such patients are quite a few in numbers, however, the treatment, modalities and research for such, result in exceedingly high cost to be borne by the patient. The average cost of such drugs starts around 43 lakhs annually for Gaucher disease and goes upto 18 crores for Spinal Muscular Atrophy. The overhead charges go upto more than 30-40% by the time they reach the patient hand.

Waiver of GST and Import charges on these medicines will be helpful, especially, towards people who are financially deprived. Hence, I humbly request your kind intervention. (ends)

Re: New dam construction over Markandeya river in Karnataka

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): I would like to take this opportunity to highlight the issue of a new dam constructed by Karnataka across Markandeya river which will affect irrigation in 870 hectares of lands in Krishnagiri district.

Markandeya River is a tributary of Pennaiyar that originates in Karnataka and enters Tamil Nadu in Krishnagiri district. The TN government, farmers and parties have been opposing the dam as it would affect irrigation and drinking water needs of six districts including Krishnagiri.

On the direction of the Supreme Court, Tamil Nadu government in 2019 urged the Union Government to constitute the Tribunal to resolve the issue immediately, but till now, the Tribunal has not been formed and is yet to become a reality.

Hence, I request Union Minister for Jal Sakthi through you, Sir, to constitute the Tribunal immediately and thereby resolve the water crises safeguarding the interests of farmers and the public of the six districts including Krishnagiri. (ends)

Re: Financial crisis in Andhra Pradesh

SHRI K. RAGHU RAMA KRISHNA RAJU: Sir, AP government is reeling under acute financial crisis arising from lacking of income generating activities.

GOI is aware that AP Government has already crossed its FRBM limit. Though interests on loans of the state should not cross 10% of total GDP revenue, but it crossed 20% above. Due to financial crunch, government is not in a position to pay salaries of the employees in time. Funds released by the Centre are being diverted to welfare schemes announced by the state. As there are no income-generating activities, state is gradually turning into a debt-ridden state. Recently, RBI had to adjust the revenue deficit grants against the overdrafts already taken by the state. So, the state is searching for fresh loans at high rates of interest from various financial institutions by way of Corporations.

Hence, I seek immediate intervention of GOI for corrective action before the situation turns worse.

(ends)

Re: Need to set up a Bench of High Court of Bombay at Pune

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): पूना पिंपरी चिंचवड शहर की आबादी करीबन डेढ़ करोड है, और पूना में हाई कोर्ट की बेंच नहीं होने के कारण यहाँ के लोगो को अपने अदालती कार्यों हेतु मुंबई जाना पड़ता है जबकि मुंबई हाई कोर्ट में करीबन 45 प्रतिशत केस पूना एरिया से होते हैं और अपने केस हेतु पक्षकार को पूना से मुंबई जाने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है | इसके अतिरिक्त अहमदनगर, सतारा और सोलापुर के क्लाइंट भी अपने केस के लिए मुंबई जाते हैं जबकि इन जिलो के लिए पूना ज्यादा नजदीक है।

वर्तमान में महाराष्ट्र में नागपुर और औरंगाबाद में हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच है अगर पूना में हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच देने की मंजूरी मिलती है जो लोग पूना, अहमदनगर, सतारा और सोलापुर से कोर्ट केस के लिए मुंबई जाते हैं उनको सुविधा प्राप्त होगी |

जबकि मुंबई हाई कोर्ट में ज्यादा केस होने के कारण लोगो को समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है।

जबकि कहावत है कि “न्याय देर से मिलाना, न्याय न मिलने के बराबर है” इसी देर से न्याय मिलने के कारण आज लोगो का न्याय से भरोसा उठ रहा है, जबकि जल्दी से न्याय मिले यह सरकार की भी भावना है |

अतः मैं सरकार से मुंबई हाई कोर्ट की बेंच, पूना में दिए जाने की मांग करता हूँ |

(इति)

Re: Need to build a temple of Mata Sita, wife of Lord Rama in Sitamarhi, Bihar and also run a train from Ayodhya to Janakpur via Sitamarhi

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी): माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पश्चात भगवान राम की जन्मस्थाली अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से सरकार से जगत जननी माता सीता की जन्म स्थली सीतामढ़ी में भव्य सीता माता के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का आग्रह करता हूँ। इसके साथ ही अयोध्या के तर्ज पर ही पूरे सीतामढ़ी का विकास किये जाने का भी अनुरोध करता हूँ। इसके अलावा अध्यक्षपीठ के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि अयोध्या से सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर तक एक सुपर फास्ट ट्रेन चलाई जाए। इस ट्रेन को इस तरह से बनाया जाए कि उसमें यात्रा करने वाले लोगों को रामायण काल की अनुभूति हो सके। इससे न केवल पर्यटन का विकास होगा, बल्कि इस क्षेत्र का भी समुचित विकास होगा

(इति)

Re: Declaration of Durgadevi settlement, Balasore as a protected site

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): A 4000 year old settlement and ancient artifacts have been discovered in Durgadevi village in Remuna Tehsil of Balasore district recently. The Odisha Institute of Maritime and South East Asian Studies, the archaeological wing of the State Government has sought permission from the Archaeological Survey of India to document the site which has a circular mud fortification of about 4.9 kms in between Sona river in the South and the Burahabalang river on its north-eastern borders. Interestingly, traces have been found beyond the Early Historic Period, Iron age upto Chalcolithic period which is 2000 to 1000 BC in the excavation site. The fortification signifies the emergence of urbanisation at Durgadevi around 400 to 200 BC.

I would urge the Government to publicize this 4000 year old settlement of our country and declare Durgadevi as a protected site.

(ends)

Re: National Level Research Institute for Nano Textile Technology

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Parvathy Mills Limited, Kollam has been shut down since 2008. The Mill owned R 16.40 acres of prime city land. The land is not in use. The revival package submitted for the Mill has not been considered till this date. Various proposals were submitted for proper utilisation of land and the same has not been considered. The land is suitable for establishment of National Level Research Institute for Nano Textiles Technology and Nano Textile Park. DRDO is an agency specialized in research and development in various sectors. The DRDO has not helped textiles sector in research and development. The Nano textiles is an area which requires research and development.

Hence, I urge upon the Government to constitute a committee to conduct study regarding the feasibility of establishing a National Level Research Institute for Nano Textile Technology and Nano Textile Park under DRDO in the land owned by Parvathy Mills, Kollam.

(ends)

माननीय सभापति : आप सभी सीनियर मैम्बर्स हैं। आप लोकतंत्र में जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वह शोभा नहीं देता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने-अपने स्थान पर जाएं, अपनी सीट पर जाएं। यह सभा लोकतंत्र का मंदिर है और इसकी गरिमा का पालन करना हम सभी का फर्ज बनता है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1217 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 26 जुलाई, 2021 / 4 श्रावण, 1943 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।